



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : संस्था / 2016 / 59

दिनांक 22 मार्च, 2016

## --:: कार्यालय आदेश ::--

बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में "परिचारक सीधी भर्ती" हेतु ऑनलाईन व ऑफलाईन आमंत्रित किये गये आवेदन को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क बिना ब्याज निम्नानुसार लौटाये जायेंगे :-

1. विकलांग अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन पत्र व शुल्क ऑफलाईन प्राप्त हुए हैं लौटाने की कार्यवाही संस्थापन शाखा द्वारा की जावेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाईन शुल्क प्राप्त हुए हैं उन्हें शुल्क लौटाने की कार्यवाही आई.टी. एवं लेखा शाखा द्वारा की जावेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(मेघना चौधरी)  
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. समस्त अधिकारी।
2. वित्तीय सलाहकर - ऑनलाईन अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क लौटाने बाबत।
3. ए.सी.पी. - बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने एवं ऑनलाईन शुल्क लौटाने बाबत।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी।
5. सूचना पट्ट।
6. रक्षित पत्रावली।

(कमल गर्ग)  
उप सचिव